Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बाडमेर में तहसीलदार को 10 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *27 जनवरी।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की जालोर इकाई द्वारा आज बुधवार को सिवाणा, बाडमेर में कार्यवाही करते हुये तहसीलदार सिवाणा बाबूसिंह राजपुरोहित को 10 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जालोर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी पैतृक खातेदारी भूमि में रास्ते संबंधी विवाद में मौका रिपोर्ट उसके पक्ष में भिजवाने की एवज में तहसीलदार सिवाणा बाबूसिंह राजपूरोहित द्वारा 10 हजार रूपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की जालोर इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री अन्नराज राजपुरोहित** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज अपनी टीम के साथ सिवाणा बाडमेर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये **तहसीलदार सिवाणा बाबूसिंह राजपूरोहित** पुत्र श्री खेत सिंह निवासी भल्लरो का बाड़ा, समदडी जिला बाडमेर को 10 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।